कार्यालय जिला पंचायत, लखनऊ

पत्रांक 201/नक्शा/नि0वि0/जि0पं0/2017–2018 दिनांक 22 जनवरी, 2018

मेसर्स मंजरी डेवलपर्स पार्टनर
श्री राजीव कुमार सिंह
ग्राम बाघामऊ
विकास खण्ड–चिनहट
तहसील– सदर
जनपद लखनऊ।

आपके प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न मानचित्र पर सम्यक विचारोपरान्त मा0 अध्यक्ष जी के द्वारा दिनांक 22.01.2018 में मानचित्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

ग्रामसभा बाघामऊ विकास खण्ड चिनहट तहसील सदर जनपद लखनऊ के खसरा संख्या 460 में आवासीय भवनों का निर्माण कार्य हेतु कुल कवर्ड एरिया 7887.80 वर्गमीटर में मानचित्र की स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों सहित दी जाती है।

1–प्रस्तावित भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय तथा निर्माणाधीन अवधि में कोई भी निर्माण सामग्री मार्ग पर एकत्र न की जाये।
2–जल–मल की निकासी मार्ग की ओर न की जाये।
3–मुख्य मार्ग के मध्य से बिन्दु से निर्माण स्थल की प्रतिबंधित दूरी के सम्बन्ध में रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल रूल्स 1965 के नियम–7 यथावत लागू रहेंगें।
4–प्रतिबन्ध रहेगा कि भवन का निर्माण कार्य कुल कवर्ड एरिया 7887.80 वर्गमीटर में ही निर्माण कराया जाये।
5–भवन का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व स्ट्रक्चरकल डिजाइन ड्राइंग बनवाकर ही निर्माण कार्य प्रारम्भ करेंगें, अन्यथा की दशा में स्वयं उत्तरदायी होंगे।
6–भवन निर्माण कार्य में विद्युत व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, सीवर प्रणाली व्यवस्था, रेनवाटर व्यवस्था, सड़कें आदि कार्य कराया जाना अनिवार्य होगा।
7–प्रतिबन्ध रहेगा कि अग्नि शमन अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार कार्यवाही किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
8–प्रतिबन्ध रहेगा कि कार्यालय उपकर निर्धारण अधिकारी/उपकर संग्राहक एवं अपर श्रमायुक्त, लखनऊ परिक्षेत्र, ए.पी.सेन रोड, लखनऊ के कार्यालय पंजीकरण संख्या 28003907/2017–2018 दिनांक 22.01.2018 में अवशेष फेज की लेबर सेस धनराशि श्रमायुक्त कार्यालय में जमा किये जाने की जिम्मेदारी आपकी होगी।
9–प्रतिबन्ध रहेगा कि दो वर्ष के अन्दर कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्य पूर्ण प्रमाण पत्र कार्यालय जिला पंचायत, लखनऊ से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

बिना किसी पूर्व सूचना के नक्शें/भवन में किसी भी प्रकार का परिवर्धन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा। यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन भवन/मानचित्र में प्रस्तावित है, तो जिला पंचायत लखनऊ से स्वीकार किये बिना परिवर्तन/परिवर्धन नहीं किया जायेगा। भू–स्वामित्व एवं किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में जिला पंचायत, लखनऊ उत्तरदायी नहीं होगी।

अनुमोदित मानचित्र किसी भी दशा में स्वामित्व का अभिलेख नहीं माना जायेगा।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, लखनऊ।

प्रतिलिपिः– कार्यालय उपकर निर्धारण अधिकारी/उपकर संग्राहक एवं अपर श्रमायुक्त, लखनऊ परिक्षेत्र, ए.पी.सेन रोड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, लखनऊ।